भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/23/25– **डीजीटीआर**
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, **संसद मार्ग, नई दिल्ली** – 110001

दिनांक : 30 जून, 2025

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला सं. एडीडी (ओआई) – 20/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "4-(ब्रोमोमेथिल)-2'-सायनोबिफिनाइल" जिसे "ब्रोमो ओटीबीएन" के नाम से भी जाना जाता है, के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच शुरूआत

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के अनुसार, मेसर्स नियोजेन केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "4-(ब्रोमोमिथाइल)-2' - सायनोबिफिनाइल" जिसे "ब्रोमो ओटीबीएन" के रुप में जाना जाता है (जिसे इसके बाद ''संबद्ध वस्तु' अथवा विचाराधीन उत्पाद' के रुप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तुओं को भारत में आयात किया जा रहा है, जो काफी समय से काफी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारत में आयात की जा रही हैं तथा इससे भारत में घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है तथा उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद "4-(ब्रोमोमेथिल)-2'-सायनोबिफेनिल" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा पीयूसी के रुप मे भी कहा गया है) है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार, पीयूसी को "ब्रोमो ओटीबीएन" के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोमो ओटीबीएन एक क्रीम/ ऑफ व्हाइट रंग का पाउडर है, जिसका उपयोग कुछ फार्मास्युटिकल एपीआई, मुख्य रूप से वाल्सार्टन, इरबेसर्टन और टेल्मिसर्टन के निर्माण में किया जाता है।

4. संबद्ध वस्तुएं लोसार्टन, एजिल्सर्टन एस्टर और टेल्मिसर्टन जैसे सार्टन वर्ग की फार्मास्यूटिकल ड्रग के सिंथेसिस में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती हैं। इसका उपयोग अन्य पाइराज़ोलिन और संबंधित व्युत्पन्नों के सिंथेसिस में भी किया जाता है। इसके अलावा, हाल ही में सूचित किए गए अध्ययनों में ईएसआई-एमएस/ एमएस तकनीक और थर्मोडायनामिक अध्ययनों का उपयोग करके अन्य सॉल्वैंट्स का उपयोग करके टेल्मिसर्टन में संभावित जीनोटॉक्सिक अशुद्धियों के निर्धारण में संबद्ध वस्तु की भूमिका का संकेत दिया गया है।

5. संबद्ध वस्तु की रासायनिक संरचना में प्रत्येक बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन के साथ एक केंद्रीय बाइफिनाइल कोर होता है। साइनो समूह (-CN) एक बेंजीन रिंग की 2' पोजिशन पर स्थित है, जबकि ब्रोमोमेथिल समूह (-CH2Br) अन्य बेंजीन रिंग की 4 पोजिशन पर स्थित है। यह व्यवस्था मॉलिक्यूल को इसकी विशिष्टता और प्रतिक्रियाशीलता प्रदान करती है।

6. कथित पाटित वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं को कंपनी से कंपनी और देश से देश में विभिन्न कोडों के तहत आयात किया जा रहा है और अधिकांश आयात 29269000, 29339990, 29332990,29420090, 29152990 शीर्ष के तहत किए जा रहे हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच में सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. हितबद्ध पक्षकार प्रस्तावित उत्पाद दायरे पर अपनी टिप्पणी/ सुझाव प्रदान कर सकते हैं और इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस जांच के उद्देश्य के लिए

पीसीएन का सुझाव दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की गई संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्राधिकारी आवेदक के दृष्टिकोण को नोट करते हैं। अत: वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. यह आवेदन चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित किए गए आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

10. आवेदक द्वारा दायर आवेदन के अनुसार, देश में संबद्ध वस्तुओं के दो और उत्पादक हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि कुल भारतीय उत्पादन में उसका बड़ा हिस्सा शामिल है।

11. उपलब्ध सूचना के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का एक "बड़ा हिस्सा" शामिल है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वह चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/ निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध है।

12. उपर्युक्त को देखते हुए और जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड़. कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि चीन से प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार द्वारा संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

14. अनुलग्नक -1 के पैरा 7 के संदर्भ में, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों से आयात के मामले में, बाजार की अर्थव्यवस्था के तीसरे देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए, या इस तरह के तीसरे देश से अन्य देशों से मूल्य, या जहां यह संभव नहीं है, किसी भी अन्य उचित आधार पर भुगतान करना, जो कि किसी भी अन्य उचित आधार पर भुगतान करता है।

15. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वे चीन पीआर के लिए कोई उपयुक्त सरोगेट देश नहीं खोज पाए थे। किसी भी अन्य पर्याप्त जानकारी की अनुपस्थिति में, घरेलू उद्योग ने किसी भी अन्य उचित आधार के तहत सामान्य मूल्य को निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत की जानकारी/आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जो विधिवत समायोजित है।

16. प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को शामिल करके विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

17. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना याचिकाकर्ता द्वारा निजी स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़ों के साथ-साथ उनकी बाजार आसूचना के आधार पर की जाती है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय,

बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के लिए कीमतों का समायोजन किया गया हैं।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो कि पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित किए गए आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, नकदी प्रवाह और लाभप्रदता पर निरंतर नकारात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव और कीमत में गिरावट के प्रभाव के रूप में है। आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों के परिणामस्वरूप लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और क्षमता उपयोग के संबंध में इसके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

20. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों के कारण हो रही है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

21. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते हैं, जिसे

यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा

ज. जांच की अवधि

22. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से जनवरी 2024-दिसंबर 2024 (12 माह) को जांच की अवधि ("पीओआई") के रुप में माना है। क्षति की अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और पीओआई की अवधि शामिल है।

झ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 के तहत बताए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुती

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो तथा डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंच के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित फार्मेट और निर्धारित तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर जांच से संबंधित अपने अनुरोध निर्धारित फार्मेट और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण का प्रदर्शन करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तर सहित कोई अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री को रेखांकित किया गया हो। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या देना सुनिश्चित करें।

32. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ ठीक से अनुदित पाठ उपलब्ध कराया जाए।

33. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34.अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा रिक्त स्थान दिया गया हो (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए अगोपनीय सारांश का पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए ग्रहणीय नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उसका सारांश संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का गोपनीय पाठ प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

35.प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

36.कोई अनुरोध, जो उसके सार्थक अगोपनीयता पाठ के बिना किया गया है अथवा उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किया गया है तो उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37.हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

38.प्राधिकारी संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली उत्तर अथवा अन्य अनुरोध का गोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद नहीं। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना का गोपनीय पाठ परिचालित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

सिद्धार्थ महाजन
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)